

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या-249/10-11

डॉ० मुन्ना कुमार सिंह प्रथम पक्ष

बनाम्

नासीर अंसारी वगै०..... द्वितीय पक्ष

आदेश

अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक-974 दिनांक 07.12.2010 द्वारा डॉ० मुन्ना कुमार सिंह पिता स्व० अम्बिका सिंह, सा०-जरमुनेचट्टी, थाना-बगोदर बनाम नासीर अंसारी एवं अन्य साकिन-बरॉय, थाना-विष्णुगढ़ के वाद संख्या-8A/2010-11 में पारित आदेश की सम्पूष्टि हेतु मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है।

विज्ञ अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पारित आदेश में निहित भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा
जरमुने	108	13	2159	0.02 $\frac{1}{2}$ एकड़

इस वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों में उभय पक्षों को उनके विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से सुना गया तथा इसे संचिकाबद्ध किया गया है।

प्रथम पक्ष की ओर से बहस करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि प्रथम पक्ष के डॉ० मुन्ना कुमार सिंह पिता स्व० अम्बिका सिंह ने रजिस्ट्री केवाला द्वारा दिनांक 03.07.1982 को मसो० बकरीदन पति स्व० आबिद हुसैन सा० जरमुने, थाना नं०-108 के अंतर्गत खाता नं०-13, प्लॉट नं०-2159, रकवा-15 डी० मध्ये 2 $\frac{1}{2}$ डी० वो प्लॉट नं०-2172, रकवा-53 डी० मध्ये 35 $\frac{1}{3}$ डी० कुल रकवा 37 $\frac{5}{6}$ डी० जमीन खरीद किया जिसका जमाबंदी पंजी-II के पृष्ठ सं०-43, भोलुम नं०-16 पर कायम है तथा सरकारी रसीद निर्गत होते रहा है।

मसो० बकरीदन पति स्व० आबिद हुसैन ने मो० कलीम खान पिता स्व० मुस्लिम खान को साकिन-जरमुने के नाम से खाता नं०-13, प्लॉट नं०-2159, रकवा-7 $\frac{1}{2}$ डी० जमीन 1976 ई० में केवाला सं० 2209 में बिक्री किए हैं। इसी जमीन को मो० कलीम खान पिता स्व० मुस्लिम खान ने उक्त प्लॉट 2159 में 7 $\frac{1}{2}$ डी० जमीन तथा इसी प्लॉट के अंतर्गत 2 $\frac{1}{2}$ डी० जमीन 1978 में हासिल बताकर गलत ढंग से 1. नासीर

अंसारी वो 2. जिबराईल अंसारी पिता फजुली अंसारी 3. मो० महबुब आलम पिता सहाबुद्दीन अंसारी वो 4. जमीर उद्दीन अंसारी पिता बाबुजान अंसारी सभी साकिन बरॉय थाना-बिष्णुगढ़ के नाम से दिनांक 20.12.2007 को रजिस्ट्री केवाला कर दिया। द्वितीय पक्ष के नासीर अंसारी वगै० ने अपने केवाला संख्या-12915 दिनांक 20.12.2007 का दाखिल खारिज संख्या-2778/2007-08 के द्वारा विवादित जमीन खाता नं०-2159, रकवा-10 डी० जमीन का दाखिल खारिज कर लिया जो गलत है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि द्वितीय पक्ष के नासीर अंसारी वगै० द्वारा केवाला संख्या-12915 दिनांक-20.12.2007 में प्लॉट नं०-2159 के अंतर्गत $2\frac{1}{2}$ डी० खरीद की गई जमीन जो 1978 में हासिल बतलाया गया है का विज्ञ अंचल अधिकारी, बगोदर के कागजात की मांग की तो उन्होंने कोई भी कागजात नहीं दिखलाया। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष का प्लॉट नं०-2159 में सिर्फ $7\frac{1}{2}$ डी० जमीन पर दावा सही है तथा $2\frac{1}{2}$ डी० जमीन का दावा सही नहीं है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष के डॉ० मुन्ना कुमार सिंह का $2\frac{1}{2}$ डी० का दावा बिलकुल वैध प्रतीत होता है, क्योंकि उभय पक्ष एक ही व्यक्ति मसो० बकरीदन से ही जमीन खरीदते हैं। पहले प्रथम पक्ष द्वारा 1982 में $2\frac{1}{2}$ डी० जमीन खरीद किए हैं तथा द्वितीय पक्ष द्वारा 1976 में जमीन खरीद किए हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सिर्फ हाजिरी दी गई किन्तु इनके द्वारा अपने जवाब में कुछ नहीं बताया है इससे स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कोई भी जवाब इस विषय पर नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का दलील सुनने एवं अभिलेख में सभी संलग्न कागजातों का अवलोकन एवं सम्यक विचारोपरांत इसमें निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होता है :-

1. मसो० बकरीदन पति स्व० आबिद हुसैन ने प्रथम पक्ष के डॉ० मुन्ना कुमार सिंह पिता स्व० अम्बिका सिंह को $2\frac{1}{2}$ डी० जमीन तथा द्वितीय पक्ष जिससे जमीन खरीदी किया है अर्थात् कलीम खान पिता स्व० मुस्लिम खान को $7\frac{1}{2}$ डी० कुल 10 डी० जमीन बिक्री किया है। इससे स्पष्ट है कि उभय पक्ष मसो० बकरीदन के हिस्से खाता नं०-13 प्लॉट नं०-2159, रकवा-10 डी० जमीन को वैध रूप से मान्य करते हैं।
2. द्वितीय पक्ष के नासीर अंसारी वगै० द्वारा खरीदी केवाला में खाता नं०-13, प्लॉट नं०-2159, रकवा- $2\frac{1}{2}$ डी० जमीन 1978 में हासिल बताया गया है।

जब इस संबंध में विज्ञ अंचल अधिकारी बगोदर से द्वितीय पक्ष से नोटिस भेज कर कागजात


की मांग की गई तो इन्होंने कोई भी कागजात प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया। इस वाद में भी इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कोई जबाब पेस नहीं किया गया न तो कोई कागजात दिया है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा $2\frac{1}{2}$ डी0 जमीन गलत ढंग से खरीदी की गई तथा गलत ढंग से जमाबंदी भी कायम की गई है।

3. Title Suit No. 62/ of 1943 विक्रेता मसो0 बकरीदन के पिता शेख अहमद हुसैन बनाम शेख असगर मियाँ वगै0 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। इसमें सन्निहित भूमि मौजा जरमुने थाना नं0-108 के अंतर्गत खाता नं0-13, प्लॉट नं0-1818, 2142, 2143, 2147, 2153, 2159, 2172 रकवा क्रमशः 0.45 ए0, 0.02 ए0, 0.05 ए0 0.37 ए0, 0.17 एकड़, 0.15 ए0 0.53 ए0 कुल रकवा- 1.74 एकड़ भूमि में विक्रेता मसो0 बकरीदन के पिता को $\frac{2}{3}$ हिस्सा एवं विपक्षी मोहम्मद सदीक को $\frac{1}{3}$ हिस्सा का हक दिया गया है।
4. विविध केस नं0-1/1979-80, LR No. $\frac{83/80-81}{35/81-82}$ इस वाद में प्रस्तुत कागजात की छायाप्रति से स्पष्ट होता है कि मसो0 बकरीदन बनाम मो0 सदीक के फैसले में विवादित जमीन से संबंधित जिसका विवरण क्रमांक 03 में दिया गया है। जमीन के विक्रेता मसो0 बकरीदन को $\frac{2}{3}$ हिस्सा एवं प्रतिवादी को $\frac{1}{3}$ हिस्सा दिया गया है।
5. G/REV No. 19/98 में District Session Judge, Giridih के दिनांक 18.02.1998 के पारित आदेश में भी जमीन के विक्रेता के पक्ष में ही फैसला दिया गया है।
6. विविध वाद संख्या- $\frac{5/2000-01}{L.R.252/04-05}$ खलीलुर रहमान बनाम मोहम्मदी उर्फ जुही वगै0 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति से भी स्पष्ट है कि विवादित जमीन से संबंधित पारित आदेश में माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह ने द्वितीय पक्ष के दावा को निरस्त कर दिया कि उन्हें इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय में दायर करना चाहिए का आदेश दिया है।


उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जमीन के विक्रेता मसो0 बकरीदन के पक्ष में विभिन्न न्यायालयों से फैसला आ चुका है तथा इस संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय से भी विक्रेता मसो0 बकरीदन के पक्ष में विभिन्न न्यायालयों से फैसला आ चुका है तथा इस संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्ता गिरिडीह के न्यायालय से भी विक्रेता मसो0 बकरीदन के पक्ष में ही फैसला दिया गया है। इस प्रकार मसो0 बकरीदन द्वारा प्रथम पक्ष डॉ0 मुन्ना कुमार सिंह को बिक्री की गई $2\frac{1}{2}$ डी0 जमीन एवं कायम की गई

जमाबंदी वैध प्रतीत होता है तथा द्वितीय पक्ष को $7\frac{1}{2}$ डी० जमीन जो मसो० बकरीदन द्वारा बिक्री की गई है वह भी वैध है किन्तु इसी केवाला में दुसरा किस्त खाता नं०-13, प्लॉट नं०-2159, रकवा- $2\frac{1}{2}$ डी० खरीदी गई जमीन अवैध प्रतीत होता है। इसलिए $2\frac{1}{2}$ डी० की कायम जमाबंदी को अमान्य घोषित करने की अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख अपर समाहर्ता, गिरिडीह को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)